प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 15 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—733/सी0ई0ओ0-3-42/3-2022, दिनांक 28 जून, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अंतर्गत विभिन्न मानक मदों के लिए कुल रू0 43814000.00 लाख (रूपये चार करोड अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31.3.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कर लिया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओ के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों /सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

.....2-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

लेखाशीर्ष: 2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
2	041	2015001030500 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय	52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	14,000 (रुपये चौदह हजार मात्र)
	कुल			**8,14,000 (रुपये आठ लाख चौदह हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001060300 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4,20,00,000 (रुपये चार करोड़ बीस लाख मात्र)
	कुल			**4,20,00,000 (रुपये चार करोड़ बीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि

http://shasanadesh.up.gov.in

1	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद	42 अन्य व्यय	10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र)
	कुल			**10,00,000** **(रुपये दस लाख मात्र)**
महायोग				**4,38,14,000** **(रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

...3-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-06/2022/459(1)**/001-01-Reappropriation-2022-2023, तद् दिनांक।**
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A061-20222023-01-Reappropriation-2022

विषय:- अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	04 (यात्रा व्यय)	27,05,00,000 रुपये सत्ताईस करोड़ पांच लाख मात्र	4,38,14,000 रुपये चार करोड़ अड़तीस लाख चौदह हजार मात्र	4,38,14000	22,66,86,000	2022-2023

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)	42 (अन्य व्यय)	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	10,00,000 रुपये दस लाख मात्र	10,00,000	30,00,000	2022-2023
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	11 (लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई)	2,80,00,000 रुपये दो करोड़ अस्सी लाख मात्र	4,20,00,000 रुपये चार करोड़ बीस लाख मात्र	4,20,00,000	70,00,000	2022-2023
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	52 (पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	1,000 रुपये एक हजार मात्र	14,000 रुपये चौदह हजार मात्र	14,000	15,000	2022-2023

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
		(राजकीय))					
041	2015001030500 (निर्वाचन अधिष्ठान व्यय)	05 (स्थानान्तरण यात्रा व्यय)	3,00,000 रुपये तीन लाख मात्र	8,00,000 रुपये आठ लाख मात्र	8,00,000	11,00,000	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण बचत संभावित है ।

(2) स्थानान्तरण सत्र 2022 के दृष्टिगत् जिला निर्वाचन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रस्तुत देयकों के भुगतान हेतु, कु0 गुरजीत कौर, सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक, जिला निर्वाचन कार्यालय, सहारनपुर के सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत वेतन एरियर के भुगतान हेतु, विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 में क्रय की गयी लेखन सामग्री और प्रपत्रों की छपाई आदि से सम्बन्धित जनपदों से प्राप्त मांग पत्रों तथा जनपदों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले सम्भावित मांग पत्रों से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु तथा विधान परिषद निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए कार्मिक के आश्रित परिवार को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150,151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:**RE-budget-1-8-E-12-107-X-2022-23,** दिनांक-**13-07-2022**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

ह०/-
(नितिन कुमार गुप्त)
अनु सचिव।

संख्या : A061-20222023-01-Reappropriation-2022, दिनांक-15.07.2022,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है